1. मौजा कालवी के खाता संख्या 56 के खसरा नम्बर 298/53 व 58 में दर्ज खातेदार **गोविन्दराम पुत्र सोनाराम के स्थान पर अमरसिंह पुत्र सोनाराम** दुरस्त किया जाता है।
2. वादी संख्या 1 अमर सिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मोजा कालवी का खसरा नम्बर 298/53 रकबा 1.4165 हैक्टेयर में से रकबा 0.8904 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. वादी संख्या 2 रामावतार के हक बंट कब्जा काश्त में मोजा कालवी का खसरा नम्बर 58 रकबा 2.1772 हैक्टेयर में से रकबा 0.8904 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 हरीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मोजा कालवी का खसरा नम्बर 298/53 रकबा 1.4165 हैक्टेयर में से रकबा 0.5260 हैक्टेयर, एवं खसरा नम्बर 58 रकबा 2.1772 हैक्टेयर में से रकबा 0.3964 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
5. प्रतिवादी संख्या 2 मनोज कुमार गिवारिया के हक बंट कब्जा काश्त में मोजा कालवी का खसरा नम्बर 58 रकबा 2.1772 हैक्टेयर में से रकबा 0.8904 हैक्टेय माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
6. प्रतिवादी संख्या 3 व 4 क्रमशः कैलाशी व सुशिला के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
7. उक्त खसरान के बैक के रहन रहने कि स्थिति में रहन यथावत रहेगा। सूचित रहे।
8. वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

निर्णय आज दिनांक 28/08/24 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner